Email

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: राम/प-1/1/12/वि/स्था/पार्ट/2018/7017 दिनांक: 21/07/2020

:: आदेश ::

कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2013 के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 की रिजर्व लिस्ट से पिक-अप किये गये एवं प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक : प.1(2)प्र.सु./अनु-3/2020 दिनांक 18.06.2020 के द्वारा नियुक्ति हेतु आवंटित किये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित अभ्यर्थियों को, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम-1999 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष के परिवीक्षा काल पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में कनिष्ठ सहायक के पद पर, वित्त विभाग (नियम डिवीजन) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के शिड्यूल IV के तहत पे मैट्रिक्स लेवल -5 में 14600/- (अक्षरे रूपये चौदह हजार छः सौ मात्र) स्थिर पारिश्रमिक मासिक दर पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार सभांलने की तिथि से नियुक्त किया जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विभाग/ कार्यालय में एतद्द्वारा पदस्थापन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम/पिता का नाम	जन्म तिथि	संवर्ग	मेरिट नम्बर	रोल नम्बर	नियुक्ति/पदस्थापन विभाग/ कार्यालय का नाम
1	श्री आकाश यादव / महेश चन्द यादव	28-02-1993	SC	17712	1408721	राजस्व मण्डल राज. अजमेर
2.	श्री बलराज लंगा/सत्य नारायण लंगा	10-12-1993	SC	18124	140252	आन्तरिक लेखा जांच दल (व्यय) ... जिला कलक्टर बीकानेर
3.	योगेन्द्र कुमार रेगर / भूपाल लाल रेगर	07-03-1994	SC	18184	2445357	राजस्व मण्डल राज. अजमेर
4.	श्री अमित कुमार उदय/ मुन्ना लाल उदय	26-06-1992	SC	18412	1383702	राजस्व मण्डल राज. अजमेर
5.	श्री मनोज भीमवाल/ आलाराम भीमवाल	08-07-1996	SC	18419	1756371	आन्तरिक लेखा जांच दल (व्यय), जिला कलक्टर जयपुर
6.	श्री टीकमचन्द / गोरधन राम	25-01-1997	SC	18493	2408430	राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
7.	श्री ब्रिजेश कुमार/ रामरतन	10-12-1991	SC	18515	1402393	राजस्व मण्डल राज. अजमेर
8.	श्री केशव आलोरिया/ सुरेश चन्द आलोरिया	01-11-1996	SC	18603	1699790	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर
9.	श्री अशोक कुमार / आलाराम	03-08-1992	SC	18636	1408879	राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
10.	श्री दिलखुश मीना / प्यारेलाल मीना	05-06-1996	ST	21386	1364460	राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर
11.	श्री रामसिंह मीना/ रामेश्वर प्रसाद मीना	15-07-1992	ST	21392	2017072	राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
12.	श्री राकेश कुमार मीणा/ कालूराम मीणा	14-06-1997	ST	21640	1864557	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर
13.	श्री विजय मीणा/ लालचन्द मीणा	09-07-1995	ST	21765	2245445	राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
14.	श्री हरिकेश मीना/ चतुर्भुज मीना	04-06-1995	ST	21885	1629796	राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
15.	श्री मनीष कुमार मीना/ छोटू राम मीना	11-08-1998	ST	22031	1523201	राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर
16.	श्री राजेश कुमार मीना/ श्रीयाराम मीना	26-06-1992	ST	22039	1941027	आन्तरिक लेखा जांच दल (व्यय), ... जिला कलक्टर भरतपुर
17.	श्री नरेश कुमार मीना/ राम खिलाड़ी मीना	01-09-1990	ST	22083	2028036	राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है । अस्थाई सेवाकाल में बिना पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है ।
2. उपरोक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की दिनांक से 15 दिवस में अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिन में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हों, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्य संभालेंगे । निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
3. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि, कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी।
4. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी एससी ओबीसी.एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159/ दिनांकः 09.09.2015, पत्रांक 63606–726 दिनांकः20.10.2015, एवं प011(204) आरएण्डपी/डीडीबीसी/सामान्यअवि/2011/68999–69032 जयपुर दिनांकः 11.11.2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
5. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम डिवीजन) विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(6)एफडी/रूल्स/05दिनांक 13.03.2006 व नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के तहत जारी राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम–16 व परिशिष्ठ–iv के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।
6. यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गयी एस.एल.पी.25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा ।
7. परिवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
8. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
9. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण लिपिक ग्रेड–II के पद की पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 में नियमानुसार वेतन व उस पर अन्य भत्ते देय होंगे ।
10. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता लिपिक ग्रेड–II प्रतियोंगी परीक्षा 2013 में राजस्व मण्डल हेतु योग्यता सूची के अनुसार उपरोक्त योग्यता क्रम में रहेगी ।
11. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत्त है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुंगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।
12. संबंधित अभ्यर्थी का पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा । कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर इस आशय का शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व– वृत्त सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यार्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा ।
13. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य है । प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना, असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार उनकी सेवायें समाप्त कर सकेगी ।
14. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गयी है । अंकित की गयी जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी ।
15. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
16. परिवीक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से आनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा।
17. परिवीक्षा अवधि में सामान्य प्रावधायी निधि व राज्य बीमा की कटौती नहीं की जावेगी।
18. राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम लागू नहीं होकर अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।

19. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्याः एफ–7(1) कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात किसी भी समय दो से अधिक बच्चे होने पर इन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
20. उक्त नियुक्ति पर वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना कमांकः एफ–6(4) वित्त/नियम/99 दिनांक 01.04.2004 के अनुसार राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम, 1970 के प्रावधान लागू नहीं होंगे एवं वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश कमांकः एफ–6(5) वित्त/नियम/99दिनांकः 27.07.2004 के अनुसार मेडिक्लेम बीमा योजना लागू होगी।
21. यह नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शाषित होगी एवं समय समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
22. इनकी वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार किया जावेगा।
23. जिन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन, मेडिकल प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज शेष है वह कार्यग्रहण करने से पूर्व उक्त दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।

आदेशानुसार

उप निबन्धक (प्रशासन)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

कमांकःराम/प–1/1/12/वि/स्था/पार्ट/2018/7018-7038 दिनांकः 21/07/2020

1. निजी सचिव, मा. अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार(अनुभाग–3) विभाग, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1(6)प्रसु/अनु.–3/2017 दिनांक 16.06.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर
4. निजी सचिव, निबन्धक महोदया, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
5. जिला कलक्टर, ...
6. राजस्व अपील प्राधिकारी,..................
7. वित्तीय सलाहकार / मुख्य लेखाधिकारी, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
8. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधारी निधि विभाग,.........................
9. कोषाधिकारी, ...
10. उप निबन्धक (गोपनीय/विभागीय जॉच) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
11. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर/बिल्स) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
12. श्री ....
13. पत्रावली संख्या राम/प–1/4/8/वि/स्था/2016 में संधारणार्थ।
14. आदेश पंजिका/निजी पत्रावली।

उप निबन्धक (प्रशासन)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर